



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(पंजीयन भवन, प्लॉट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल - 462011)

क्रमांक 996/ सम्पदा ई पंजीयन - 95/2015

भोपाल, दिनांक 01.08.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय - अनुपूरक पुस्तक-एक में दस्तावेज मैनुअली फाईल किए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आज दिनांक 01.08.2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पदा ई-पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे दस्तावेज, जो विभिन्न विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपूरक पुस्तक-एक में फाईल किए जाने हेतु भौतिक रूप से प्रेषित अथवा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश-पर्यन्त पूर्व की तरह ही मैनुअली फाईल किया जाएगा, किन्तु जहां उक्त फाईलिंग रजिस्ट्रीकरण कार्य में बिना किसी व्यवधान के सम्पदा के अन्तर्गत की जा रही थी, वहां वही प्रक्रिया जारी रहेगी।

(दीपाली रस्तोगी)

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 991/ सम्पदा ई पंजीयन - 95/2015

भोपाल, दिनांक 01.08.2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।